संख्या- 21 /2018/705/71-2-2017-आरएम-23/2016

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे ,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 19 फरवरी, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमतीनगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में संस्थान को आवंटित भू-खण्ड संख्या-7/31 व 7/32 में निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2704/डा0रा0म0लो0आ0सं0/सि0/2017, दिनांक 08 नवम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमतीनगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में संस्थान को आवंटित भू-खण्ड संख्या-7/31 व 7/32 में निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 1001.9953 करोड की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमतीनगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में संस्थान को आवंटित भू-खण्ड पर निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित/अनुमोदित लागत रू0 18014.20 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 20,00,00,000/- (रूपया बीस करोड मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) संस्थान द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराया जाय। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप संस्थान द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/ सक्षम लोकल आथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
3) प्रायोजना का आगणन कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर गठित किया गया है। अत: प्रायोजना का जनपद के शिड्यूल आफ रेट्स पर विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम स्तर के अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये तथा उस पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।
4) प्रायोजना प्रस्ताव में आन्तरिक रोड एवं पाथवे, अन्डर ग्राउण्ड टैंक, सीवर, फिल्टर वाटर सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, स्ट्रार्म वाटर ड्रेन, हार्टीकल्चर आपरेशन, सब स्टेशन इक्यूपमेन्ट तथा वाह्य फायर फाइटिंग की लागत डी0एस0आर0/एकमुश्त आधार पर प्रस्तावित की गयी है। अत: निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व उक्त कार्य मदों का विस्तृत आगणन गठित किया जाय तथा इस पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये जाने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5) प्रायोजनान्तर्गत लिफ्ट, सब स्टेशन इक्यूपमेन्ट एवं डी0जी0 सेट की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अत: क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। निदेशक संस्थान द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाये।
6) प्रायोजना में जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी। तद्नुसार संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव को पुन: व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
7) प्रायोजनान्तर्गत प्रसतावित कायो कीं मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक संस्थान का होगा।
8) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
9) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढाना, प्रसतावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर संसथान द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
11) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशालता को देखते हुए निदेशक संस्थान द्वारा प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यो की प्रगति के सतत् अनुश्रवण किया जायेगा तथा किये गये अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीड बैंक की प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
12) संस्थान द्वारा प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक संस्थान की होगी।
13) स्वीकृत की जा रही वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसकी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
14) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
15) आगणन में वर्णित लेबरसेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा। प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
16) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
17) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

18) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0नि0नि0 द्वारा प्रस्तावित प्रायोजना के निर्माण कार्य की गुणवत्ता का थर्ड पार्टी टेक्निकल आडिट आई0आई0टी0, बी0एच0यू0, वाराणसी/आई0आई0टी0, कानपुर/आई0आई0टी0, रूड़की/एम0एन0आई0टी0, इलाहाबाद से कराकर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0 रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-04- डा0 राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/313/दस-2018, दिनांक 06 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- /2018/705(1)/71-2-17-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4) वित्त अधिकारी, डा0 रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6) महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।